न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 22/2023
जी.सी.एम.एस. :: 2023/29

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. उगमराज पुत्र नथमल 2. प्रवीण कुमार जैन पुत्र रतनराज जाति जैन निवासीगण खौड हाल मुम्बई

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 16/09/2025

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/3 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम खौड पटवार मण्डल खौड की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009–28 के अनुसार भूमि की किस्म गै.मु.नाड़ा थी, जिसके हाल खसरा संख्या 321/1 रकबा 0.1698 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का आवंटन/नियमन उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश क्रमांक 295 द्वारा दिनांक 31.07.1975 को अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के अनुसार जैर आराजी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 31.07.1975 एवं नामान्तरकरण संख्या 642 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नाड़ा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने सरकारी पैरोकार की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम खौड, तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के अनुसार खसरा संख्या 321/1 रकबा 1.01 बीघा किस्म चाही चारम, चाही अलफ की भूमि पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम खोड़ के नामान्तरकरण संख्या 642 के अनुसार खसरा संख्या 321 किस्म नाड़ा थी तथा ग्राम खोड़ के मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा संख्या 321 के पुराना खसरा संख्या 580 है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार खसरा संख्या 580 किस्म गै.मु.नाड़ा अंकित है। इसी प्रकार ग्राम खोड़ की भूमि एकीकरण की जमाबन्दी सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा संख्या 321 की किस्म गै.मु. नाड़ा है। साथ ही मौका फर्द दिनांक 08.12.2022 एवं पटवारी हल्का खौड एवं भू निरीक्षक खौड की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार वक्त आंवटन/नियमन जैर आराजी की गै.मु.नाड़ा थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है।

जैर आराजी का आवंटन आदेश की पालना में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 05.12.1975 एवं इसके पश्चात् जैर आराजी का सिलसिलेवार बेचाण होने से वर्तमान में जैर आराजी में अप्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज है। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. उक्तानुसार जलाशय, नाला, तालाब, जोहड़ व बांध आदि की जो स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय थी। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नाड़ा दर्ज थी, तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटन/नियमन कमेटी के आदेश 295 दिनांक 31.07.1975 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 05.12.1975 एवं इसके पश्चावर्ती नामान्तरकरण संख्या 2633, 2759 एवं 2770 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन नाड़ा दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली